**न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.**

**पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
**राजस्व वादपत्र संख्या : 334/2019(258/2018)**
**GCMS NO. : 2018/00135**

अपीलान्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

1. बगदाराम पुत्र चुन्नाराम जाति– रेगर, निवासी– गिरी, तहसील रायपुर जिला– पाली(राज0) हाल निवासी औधौगिक क्षेत्र पुलिस थाना, सरदार समन्द रोड़, 433 सोसायटी नगर पाली, तहसील व जिला– पाली(राज0)

बनाम

1. सांवलराम पुत्र चूनाराम
2. केलकी पत्नि अल्पूराम
3. लाबूराम पुत्र संग्राम
4. घेवरराम संग्राम फौत
   कौम– जटिया, निवासी– गिरी, तहसील– रायपुर जिला– पाली(राज0)
5. तहसीलदार, जैतारण
6. उप पंजीयन अधिकारी जैतारण
7. पटवारी, पटवार हल्का टूंकड़ा
8. दलपत कुमार पुत्र मोहनलाल नायक R/O भमेरिया जिला प्रतापगढ़(राज0)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. एवं धारा 05 म्याद अधिनियम**

**तारीख रजू 27/09/2018**

**उपस्थितः–** 1. श्री किशोरकुमार कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सुरेश चौधरी, श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 19/03/2021**

वकील प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में वादी की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि राजस्व मौजा ग्राम टूंकड़ा, पटवार हल्का टूंकड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक रास, तहसील– जैतारण जिला– पाली में खसरा नम्बर 211, 213, 215 रकबा क्रमशः 17 बीघा 04 बिस्वा, 01 बीघा 15 बिस्वा व 02 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसका उपयोग उपभोग वादी अपने पिता प्रपिता के समय से करता आ रहा है एवं काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण ने मिलीभगत करके दिनांक 18.05.1975 को म्युटेशन संख्या 114 गलत करवा दिया। जिसमें वादी का नाम इन्द्राज नही किया, जिस हेतु वादी को जानकारी होने पर वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर साहब के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादी एक विकलांग व गरीब व्यक्ति है, जिसका एक हाथ कटा हुआ है व वादी अक्सर बिमार रहता है तथा वादी के [illegible] दिनांक 30.06.2016 को राजस्व केम्प की कोई जानकारी वादी को न [illegible] न ही वादी राजस्व केम्प में हाजिर हुआ है एवं वादी अधि[illegible] नोट प्रे[illegible] के वादपत्र को खारिज करवा दिया। जबकि वादी को इस बाबत कोई सूचना या इत्तला नहीं दी गई। वादी ने जब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया [illegible] आपका प्रकरण खारिज हो गया है, तब वादी ने दिनांक 11.09.2018 को प्रकरण की नकलें प्राप्त की तब जानकारी हुई कि मुझ वादी के अधिवक्ता ने मुझे बिना जानकारी दिये एवं मेरी अनुपस्थिति में मेरा वादपत्र खारिज करवा दिया गया है। इस हेतु वादी को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.03.31 15:52:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

जानकारी नही गई है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का हित निहित है। इसलिए वादपत्र को रेस्टोर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी द्वारा नकलें दिनांक 11.09.2018 को प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष अन्दर म्याद पेश किया जा रहा है तथा म्याद प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन है कि– वादी का वादपत्र रेस्टोर किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे, ताकि वादी को न्याय मिल सकें। प्रार्थी/वादी ने साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 05 म्याद अधिनियम का पेश किया जो सा0मि0 है तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 05 म्याद अधिनियम में कथन किया है कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस करके वादपत्र को खारिज करवा दिया। जबकि वादी को इस बाबत कोई सूचना या ईत्तला नही दी गई। वादी ने जब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि आपका प्रकरण खारिज हो गया है, तब वादी ने दिनांक 11.09.2018 को प्रकरण की नकलें प्राप्त की तब जानकारी हुई कि– मुझ वादी के अधिवक्ता ने मुझे बिना जानकारी दिये एवं मेरी अनुपस्थिति में मेरा वादपत्र खारिज करवा दिया गया है। इस हेतु वादी को कोई जानकारी नही गई है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का हित निहित है इस पर वादी द्वारा नकलें दिनांक 11.09.2018 को प्राप्त की है, इसलिए खारिज की दिनांक 30.06.2016 से दिनांक 11.09.2018 के समय को कण्डोन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद शुमार किया जावे। इस बाबत यह प्रार्थना पत्र सादर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दिनांक 30.06.2016 से दिनांक 11.09.2018 के समय को कण्डोन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करावे।।

प्रार्थी/वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी विरूद्ध प्रतिवादीगण ने जवाब पेश किया जो सा0मि0 है। प्रतिवादी संख्या 01 लाबूराम पुत्र संग्राम ने जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया है कि दरख्वास्त का फिकरा नम्बर 1 कतई गलत व नामंजूर है। ग्राम टूंकड़ा तहसील जैतारण की सीमा मे स्थित ख0नं0 211, 213, 215 की आराजी कुल रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा वादी/प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की नही है। बल्कि. प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। दरख्वास्त का फिकरा नम्बर 2 का जबाब है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि का म्युटेशन संख्या 114 माफिक कानून के भरा गया है जो नही म्युटेशन किसी तरह से गलत नहीं है। वादी/प्रार्थी ने केवल मात्र दावा दायर करने की गरज से उक्त म्युटेशन को गलत अवैध बताकर दावा पेश किया है जो दावा खारिज हो चुका है। उक्त म्युटेशन वैध है व कानूनी प्रावधानो के तहत भरा गया है। दरख्वास्त के फिकरा नम्बर 3 का जबाब है कि दिनांक 30/06/2016 को राजस्व कैम्प होना राज्य सरकार का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम की आम सूचनाऐ दैनिक अखबार, टी.वी. से व प्रचार प्रसार हर गांव मे की गयी थी। वादी ने यह आवेदन पेश करने हेतू झूठा आधार बताया है कि उसके अधिवक्ता ने उसे कैम्प की सूचना नही दी। दिनांक 30/06/2016 को राजस्व अदालत कैम्प टूंकड़ा मे वादी के अधिवक्ता स्वयं ने उपस्थित होकर इस वाद को नोटप्रेस मे खारिज करवाया है, इसलिए वादी अपने अधिवक्ता के कृत्य से कानूनन पाबन्द है और कानून का भी यह सिद्धान्त है कि अपने अधिवक्ता को जो जानकारी है, वही पक्षकार को भी होती है। वादी का वाद दिनांक 30.06.2016 को खारिज हुआ व रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र 17.09.2018 को दो वर्षो के वाद पेश किया, वाद खारिज का आदेश अन्तिम हो चुका है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं है। वादी का यह कानूनी कर्तव्य था

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.03.31 15:52:10 IST
Reason: SelfAttested

कि वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क बनाये रखे तथा अपने वाद की पैरवी हेतू समय पर जानकारी प्राप्त करे। ऐसा नही करना वादी का कानून की निगाह मे गौर लापरवाही है, इसलिए वादी स्वयं अपनी लापरवाही का लाभ प्राप्त करने का हकदार नही है। वादी ने दिनांक 11/09/2018 को उक्त वाद खारिज होने की जानकारी होने पर नकले प्राप्त कर यह आवेदन आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पेश करना बताया है, इस सम्बन्ध मे वादी ने अपने अधिवक्ता से किस दिन सम्पर्क हुआ, दावा खारिज की जानकारी कब हुई तथा किस माध्यम से वादी को जानकारी हुई कोई उल्लेख नही किया तथा न ही वादी ने बताया है इसलिए वादी ने जो यह आदेश 09 नियम 04 सीपीसी का आवेदन पेश किया है व इसमे जो कारण बताये है, वो कानूनन कोई उचित व पर्याप्त कारण नही है तथा खादी की गौर लापरवाही है इसलिए उचित व पर्याप्त कारण के आदेश 09 नियम 04 सीपीसी का आवेदन पोषणीय नही होने से खारिज किया जावे। वादी का यह भी कानूनी कर्तव्य था कि दिनांक 30/06/2016 से दिनांक 11/09/2018 तक के समय की माफी हेतू उचित व पर्याप्त कारण बताना था जो वादी ने नही बताया है। इसलिए वादी किसी भी तरह से उक्त वाद रेस्टोर करवार्ने का कानूनी रूप से हकदार नहीं है। ''Suit dismissed-As "Notpressed" is not-The Same as Advocate pleaded-"No Instruction"- It not press amount to "With drow of Suit" therefore 09 R04 CPC not maintenable" अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि जबाब प्रार्थनापत्र मे दर्ज आधारो एवं कानूनी प्रावधानो के तहत वादी कानूनी रूप से उक्त वाद रेस्टोर करवाने का हकदार नही है वादी का आदेश 09 नियम 04 सीपीसी का प्रार्थनापत्र उपरोक्त आधारो से पोषणीय नही होने से मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 लाबूराम पुत्र संग्राम ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 05 म्याद अधिनियम का जवाब प्रार्थना पेश करते हुये कथन किया है कि दरख्वास्त के फिकरा नम्बर 1 मे दर्ज तमाम कथन झुठे आधारहीन व कतई गलत होने से नामंजुर है। दिनांक 30/06/2016 को राजस्व कैम्प होना राज्य सरकार का कार्यकम था और इस कार्यक्रम की आम सूचनाएँ दैनिक अखबार, टी.वी. से व प्रचार प्रसार हर गांव में की गयी थी। वादी ने यह आवेदन पेश करने हेतू झुठा आधार बनाया है कि उसके अधिवक्ता ने उसे कैम्प की सूचना नही दी दिनांक 30/06/2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प टूंकडा मे वादी के अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर राजस्व वाद को नोटप्रेस मे खारिज करवाया है, इसलिए वादी अपने अधिवक्ता के कृत्य से कानूनन पाबन्द है और कानून का भी यह सिद्धान्त है कि अपने अधिवक्ता को जो जानकारी है, वही पक्षकार को भी होती है। वादी का यह भी कानूनी कर्तव्य था कि दिनांक 30/06/2016 से दिनांक 11/09/2018 तक के समय की माफी हेतू उचित व पर्याप्त कारण बताना था जो वादी ने नही बताया है, इसलिए वादी किसी भी तरह से समय कण्डोन करवाने का कानूनी रूप से हकदार नही है। वादी [illegible] 18 की उक्त वाद खारिज होने की जानकारी होने पर नकले [illegible] कारण बताया है। इस सम्बन्ध मे वादी ने अपने अधिवक्ता [illegible] सम्पर्क [illegible], दावा खारिज की जानकारी कब हुई तथा किस माध्यम से वादी [illegible] नही किया तथा न ही वादी ने बताया है। इसलिए वादी ने दफा 5 [illegible] अधिनियम का जो आवेदन पेश किया है व इसमे जो कारण बताये है, वो कानूनन कोई उचित व पर्याप्त कारण नही है वादी की गौर लापरवाही है। इसलिए उचित व पर्याप्त कारण के अभाव मे दफा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पोषणीय नही होने से खारिज किया जावे। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seervi
Date: 2021.03.31 15:52:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

का यह भी कानूनी कर्तव्य था कि दिनांक 30/06/2016 से दिनांक 11/09/2018 तक के समय की माफी हेतू उचित व पर्याप्त कारण बताना था जो वादी ने नही बताये है। इसलिए वादी किसी भी तरह से देरी माफी का हकदार नही है। इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त आधारो से एवं कानूनी प्रावधानो के तहत वादी किसी भी प्रकार से देरी माफी कण्डोन करवाने का हकदार नही है व प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया। विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।

प्रार्थी वादी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादी एक विकलांग व गरीब व्यक्ति है, जिसका एक हाथ कटा हुआ है व वादी अक्सर बीमार रहता है तथा वादी के अधिवक्ता ने दिनांक 30.06.2016 को राजस्व केम्प की कोई जानकारी वादी को नही दी एवं न ही वादी राजस्व केम्प में हाजिर हुआ है एवं वादी अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस करके वादपत्र को खारिज करवा दिया। प्रार्थी/वादी द्वारा धारा 05 म्याद अधिनियम का पेश कर विलम्ब काल माफ करनें का निवेदन करते हुये यह कथन किया है कि वादी अधिवक्ता द्वारा समय पर पत्रावली से सम्बन्धित जानकारी उसको नहीं दी गई और बिना उसकी जानकारी के राजस्व कैम्प में उसकी अनुपस्थिति में हस्तगत वाद को राजस्व कैम्प में नोट प्रेस से खारिज करवा दिया। जिसकी जानकारी वादी को वादग्रस्त आराजी के नकलें प्राप्त करनें पर हुई।

अप्रार्थी/प्रतिवादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये यह कथन किया है कि प्रार्थी/वादी का यह कानूनी कर्तव्य था कि वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क बनाये रखें तथा अपने वाद की पैरवी हेतू समय-समय पर जानकारी प्राप्त करें। ऐसा नहीं करना वादी का कानून की निगाह में गौर लापरवाही है, इसलिये वादी स्वयं अपनी लापरवाही का लाभ प्राप्त करनें का हकदार नहीं है। अप्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के जवाब में प्रार्थी/वादी के कथनों को खारिज करते हुये यह कथन किया है कि वादी ने स्वयं राजस्व कैम्प टूंकड़ा में उपस्थित होकर हस्तगत वाद को अधिवक्ता के द्वारा नोट प्रेस करवाया है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एक काश्तकार, विकलांग व गरीब व्यक्ति है एवं अधिवक्ता वादी का यह दायित्व है कि वह प्रकरण के संबंध में न्यायालय हाजा की पेशी, दिनांक एवं न्यायालय हाजा में हुई समस्त कार्यवाही की जानकारी अपनें मुव्वकील को दें, परन्तु वादी/प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि वादी वकील द्वारा इस संबंध कोई जानकारी उन्हें नहीं दी एवं हस्तगत वाद को राजस्व कैम्प में नोट प्रेस से खारिज करवा दिया। प्रश्नगत पूर्व निर्णित मूल वाद की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 30.06.2016 में केवल वादी अधिवक्ता के हस्ताक्षर हैं वादी के हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी की अनुपस्थिति में वादी अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस करवाया गया है। प्रश्नगत पूर्व निर्णित मूल वाद वादी द्वारा पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया था तथा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण लोक अदालत में दिनांक 30.06.2016 को प्रस्तुत हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.03.31 15:52:10 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

था तथा लोक अदालत में केवल उभयपक्ष की सहमति से ही प्रकरण निरतारित किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में केवल अधिवक्ता वादी द्वारा नोट प्रेस कर दिये जाने से वादपत्र को खारिज कर दिया जाना विधिसंगत नहीं माना जा सकता। अतः प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन् के लिये हम वादी पक्षकारान को समुचित अवसर देना आवश्यक समझते है। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें में हुए विलंब के सबंध प्रार्थी/वादी द्वारा प्रकट कथन एवं परिस्थितियों से हम सहमत है, क्योकिं प्रकरण का निर्णयन् गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए न की तकनीकी आधार पर, अतः हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम को स्वीकार करना हस्तगत वाद के सम्यक् न्याय निर्णयन् में विधिसंगत होगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04, व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार करते हुये वादी पक्षकारान को हस्तगत वाद में समुचित अवसर दिया जाना तथा आदेश दिनांक 30.06.2016 को अपास्त किया जाना न्यायासंगत मानते हैं।

**–:: आदेश ::–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत आदेश–09, नियम–04 एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांक 30.06.2016 को अपास्त करते हुये पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जाती है। मूल पत्रावली तलब होकर पुनः दर्ज हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 19.03.2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.03.31 15:52:10 IST
Reason: SelfAttested